Andaman & Nicobar Administration
Electricity Department

Dated: ...... January, 2023

Notification

No................ F.No. EL/NRSE/Tech/7-20/2022 In exercise of the powers conferred by Section 57 read with Section 16 of the "Energy Conservation Act, 2001" (Central Act No. 52 of 2001), the Lt. Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands (UT) Administration hereby constitutes a Fund to be called the **"Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund"** and makes the following **"Rules"** for regulation and operation of the said Fund, namely:-

1. **Short Title and Commencement:**
   i.) These rules may be called the **"Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund Rules, 2022"**.
   ii. They shall come into force with effect from the date of their notification in the Andaman & Nicobar Gazette.

2. **Definitions :**
In these rules unless the context otherwise requires:
   a. "**Act**" means the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001);
   b. "**Government**" means Government of UT of Andaman & Nicobar Islands .i.e. A&N Administration;
   c. **"Fund"** means the Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund" constituted under section 16 of the Act;
   d. "**Section**" means the section of the Act;
   e. "**State Designated Agency" (SDA)** means Electricity Department, A&N islands nominated as State Designated Agency as per provision under clause 15(d) of the Act;
   f. **"SLSC"** means **the** State Level Steering Committee constituted for steering of Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund constituted under these rules;
   g. "**BEE**" means Bureau of Energy Efficiency, Statutory Body of Government of India came into existence w.e.f. 1 st March 2002 under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001
   h. All other words and expressions used in these rules and notdefined in the Act, shall respectively have the same meaning as assigned to them in the Act.

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, JUNIOR ENGINEER (BEE)-ELE-ELE_AN, ELE_AN on 05/03/2023 11:38 AM

3. **Andaman & Nicobar Islands State Energy Conservation Fund :**

i. The Fund constituted under these rules shall be of revolving nature and administered by the State Designated Agency as specified under clause 16(4) of the Act.

ii. The proceeds of the fund shall be utilized for the purpose of promotion of efficient use of energy and its conservation in the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

iii. All grants and loans that may be received from the UT Administration of A&N Islands or Central Government or any other State Government, Public Sector Undertaking, Private Individual and Organizations, any Corporate body, NGO's, Agencies et. shall be credited into the fund.

iv. The proceeds of any tax, levy or duty / cess imposed by UT Administration of A&N Islands for the stated purpose of energy conservation shall be debited from the Fund so credited.

4. **Purpose for which the Funds shall be applied:**

The fund shall be used :-

i. To meet the expenditure incurred through the State Designated Agency for various measures to create awareness and disseminate information on efficient use of energy and its conservation to individual consumers, industries, commercial organizations, students, farmers etc;

ii. To meet the expenditure incurred by the State Designated Agency for training of personnels and Specialists for efficient use of energy and its conservation;

iii. For promotion of Research and Development in the field of Energy Conservation;

iv. To develop testing and certification procedure, in creation of testing facilities for certification and or verification/testing of energy consumption of equipment and appliances;

v. To formulate, facilitate, develop and execute implementation of pilot projects and demonstration Projects for promotion of efficient use of energy and its conservation and to contribute or provide matching contribution for such projects taken up by Bureau of Energy Efficiency (BEE) and other Agencies, Ministries or Organizations of the Central Governments;

vi. To promote the use of energy efficient processes for the equipments, devices and systems;

vii. To meet the matching grant to the centrally sponsored schemes and schemes of Bureau of Energy Efficiency implemented in the UT of Andaman & Nicobar Islands;

viii. To meet the expenses incurred by the State Designated Agency for implementing the provisions of the Act;

ix. To meet the expenses incurred by the SDA on staff of dedicated

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-[illegible] 11:38 AM

Energy Conservation Cell.

5. **State Level Steering Committee:**

i) The State Level Steering Committee, to administer the Andaman & Nicobar Islands State Energy Conservation Fund, shall consist of the following members, namely: -

S/No.	Designation	
1.	Commissioner-Cum-Secretary (Power), Andaman & Nicobar Administration	Chairperson
2.	Secretary (Power), Andaman & Nicobar Administration	Member
3.	Secretary (Finance), Andaman & Nicobar Administration	Member
4.	Superintending Engineer, Electricity Department, A&N Administration	Member
5.	Director, Directorate of Industries, A&N Administration	Member
6.	Nominee from Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, GOI	Member
7.	Head of State Designated Agency,(SDA), Andaman & Nicobar Islands	Member

ii) The meeting of the SLSC shall be held at least once in every three months and the SLSC shall have the following functions:-

a. To provide guidance and support to State Designated Agency for carrying out the energy conservation activities through the Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund;

b) To approve the annual budgets for carrying out the energy conservation activities by the State Designated Agency from the Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund; and

c) To review and monitor the progress of activities carried out by State Designated Agency from funds of the Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund.

6. **Manner & Operation of the Fund:**

i) The State Designated Agency as specified in clause (d) of section 15 of the Act shall operate the fund under the guidance of State Level Steering Committee (SLSC).

ii) The State Designated Agency shall prepare the annual budget for activities to be funded from Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund before beginning of the financial Year and get it approved by the State Level Steering Committee.

iii) The State Designated Agency shall utilize the funds available

3

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-[illegible] 11:38 AM

in Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund as per the budget approved by the State Level Steering Committee following the financial rules & procedures and delegation of powers as applicable to SDA.

iv) The State Designated Agency shall maintain separate accounts for the Fund and shall furnish six monthly income and expenditure statement to the State Level Steering Committee on regular basis.

7. Conditions applicable to the Fund:

i. The SDA shall invest the surplus fund in the Nationalized Banks/Financial Institutions in such a way that it earns best return from its investment.

ii. The SDA may use the interest income earned from investment of the Fund to meet its annual recurring and non-recurring expenditure.

8. Audit of Accounts:

The State Designated Agency shall cause the statement of accounts of the fund to be audited every year by the Chartered Accountant or by the Comptroller and Auditor General of India or by both as the case may be, at such intervals as may be specified.

9. Maintaining of Account:

The state Designated Agency shall maintain a separate account under "Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund" in the Form-1 given in the Appendix.

10. Annual Financial Estimates:

The State Designated Agency shall prepare a budget at the beginning of the financial year for the approval of the State Level Steering Committee in Form-2 given in the Appendix.

11. Annual Statements of Accounts:

Annual Statement of accounts of the Fund shall be maintained and submitted to all concerned within six months of the closure of the financial year with Audit Report on Form-3 given in the Appendix.

12. Annual Report:

The State Designated Agency as soon as possible after the end of financial year, but within the six months of closure of financial year submit to the all concerned an annual report of the operations of the State Designated Agency during the financial year ending 31st day of March (every year) with indication of any new activities to be taken up by the State Designated Agency in the next financial year.

13. Closure of Fund:

i. The funds shall remain operative so long as the relevant provision of the Act remains at force OR the scheme is withdrawn

4

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, JUNIOR ENGINEER(EE)HELE, ELE_AN, on 05/09/2023 11:38 AM

by Government of India/ Government of UT Administration, Andaman & Nicobar Islands.

ii. At the time of closure of the Fund, when the Fund is no longer required, all the unspent balance under the same shall be remitted into Government Treasury.

14. Amendment in Rules:

The Andaman & Nicobar Islands Energy Conservation Fund Rules, 2022 can be amended by the UT Administration of A&N Islands as per functional and objective necessity on the recommendation of the State Level Steering Committee.

15. Appendices (Forms of Accounts):

FORM 1

(See Rule 9)

RECORD OF AMOUNT RECEIVED FROM THE VARIOUS SOURCES

Sl.No.	Receipt No./ Challan No.	Particulars	Amount (Rs.)	Source of Receipt with the reference/ order No.	Head/ Sub-head of Account
1	2	3	4	5	6

FORM 2

(See Rule 10)

ANNUAL FINANCIAL ESTIMATES FOR THE YEAR........................

Sl.No.	Major Head/ Sub Head/ Scheme	Outlay/ Expenditure of previous year		Estimated Expenditure/ proposals for the year .... (Rs.)
		Out Lay (Rs.)	Actual Expenditure (Rs.)	
1	2	3	4	5

FORM 3

(See Rule 11)

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH OF EVERY CLOSING YEAR...................

Sl. No	Opening balance and receipts of the closing year				Payment/ remittance/ closing balance			
	Date	Head of Account	Particulars/ Budget Head	Amount (Rs.)	Date	Head of Account	Particulars/ Budget Head	Amount (Rs.)

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, JUNIOR ENGINEER (BEE)-ELE, ELECTY orEL5_AN/2023 05/03/2023 11:38 AM

1	2	3	4	5	6	7	8	9

By order of the Hon'ble Lieutenant Governor
(Administrator),
Andaman & Nicobar Islands

Comm-Cum-Secretary (Power),
A&N Administration

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-[illegible] 11:38 AM

DFA/23283

अधिसूचना

सं. ....फा.सं.ईएल/एन.आर.एस.ई/टेक/7–20/2022 " ऊर्जा सरक्षण अधिनियम, 2001" (2001 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52) की धारा 16 के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रषासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य) प्रषासन एत्दद्वारा " अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि" नामक एक कोष का गठन करते है और उस कोष के विनियमन और संचालन के लिए निम्नलिखित "नियमवली" बनाते हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :**

i) इन नियमों को " अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2022" कहा जा सकता है।

ii) यह नियमावली अंडमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएँ :**

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

क) " अधिनियम" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,2001 (2001 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 52);

ख) " सरकार" का अर्थ है अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र की सरकार यानी अंडमान तथा निकोबार प्रषासन;

ग) **"निधि"** का अर्थ है अधिनियम की धारा 16 के तहत गठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि ।

घ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा ।

ड.) " राज्य नामित एजेंसी" (एसडीए) का मतलब बिजली विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिनियम के खंड 15 (डी) के तहत प्रावधान के अनुसार राज्य पदनामित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है;

च) " एसएलएससी" का अर्थ है इन नियमों के तहत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति;

छ) बी.ई.ई." का अर्थ है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार का वैधानिक निकाय जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01 मार्च,2002 से अस्तित्व में आया;

ज) अन्य सभीष्शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए है तथा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, का क्रमषः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य ऊर्जा संरक्षण फंड

i) इन नियमों के तहत गठित फंड आवर्ती प्रकृति का होगा और अधिनियम के खंड 16(4) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM

ii) प्राप्त निधि का उपयोग अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

iii) सभी अनुदान और ऋण जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र, या केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, निजी व्यक्तिगत और संगठनों, किसी सामूहिक निकाय, गैर सरकारी संगठनों, एजेन्सियों से प्राप्त होंगे उसे निधि में जमा कर दिया जाएगा।

iv) ऊर्जा संरक्षण के निष्चित प्रयोजन के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिरोपित किए गए कोई भी प्राप्त कर, उगाही या षुल्क/उपकर को, जो जमा किए गए हैं, निधि के नामें डाला जाएगा।

4. प्रयोजन जिसके लिए निधि प्रयुक्त किया जाएगा :

फंड का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा :-

i) राज्य पदनामित एजेन्सी के माध्यम से खर्च का वहन ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण के लिए व्यक्तियों, उपभोक्ताओं, उद्योग, वाणिज्यिक संगठनों, विद्यार्थियों, किसानों आदि के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी देने के लिए किया जाएगा।

ii) राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कर्मचारियों और विषेषज्ञों के प्रषिक्षण हेतु खर्च का वहन किया जाएगा।

iii) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए होगा।

iv) ऊर्जा उपभोग के उपकरणों की जाँच /परीक्षण या और परीक्षण के सृजन की सुविधाओं के प्रमाणीकरण के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को विकसित करने के लिए होगा।

v) ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने लिए पायलट परियोजनाओं और निदर्षन परियोजनाओं को तैयार करने, सुविधाजनक बनाने, विकसित करने और निष्पादित करने तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी ई ई) और अन्य एजेन्सियों मंत्रालयों या केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा हाथ में लिए जाने वाले इस तरह के प्रयोजनों के अनुरूपयोजी अंशदान (मैंचिंग अंषदान) के लिए होगा।

vi) उपकरणों, यंत्रों और सिस्टम के लिए ऊर्जा दक्षतापूर्ण प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए होगा।

vii) केन्द्रीकृत प्रायोजित स्कीमों और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए अनुरूपयोजी अनुदान (मैंचिंग ग्रांट) के खर्च के वहन के लिए होगा।

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM

viii) अधिनियम के उपबन्धों को राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा लागू करने में खर्च के वहन के लिए होगा।

ix) राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा समर्पित कर्मचारियों के लिए खर्च के वहन के लिए होगा।

ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ

5. राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के संचालन के लिए राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य षामिल होंगे अर्थात :

क्रम सं॰	पदनाम		
1.	आयुक्त व सचिव (विद्युत) अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन	–	अध्यक्ष
2.	सचिव (विद्युत) अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन	–	सदस्य
3.	सचिव (वित्त) अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन	–	सदस्य
4.	अधीक्षक अभियन्ता विद्युत विभाग अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन	–	सदस्य
5.	निदेषक, उद्योग निदेषालय अण्डमान तथा निकोबार प्रषासन	–	सदस्य
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से नामित	–	सदस्य
7.	राज्य पदनामित एजेन्सी (एस डी ए) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	–	सदस्य

ii) राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार होगी और राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे–

क. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण फंड के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों को चलाने के लिए राज्य पदनामित एजेन्सी को मार्गदर्षन देना तथा सहायता करना।

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM

ख. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण फंड से राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों को चलाने के लिए वाषिक बजट की स्वीकृति देना।

ग. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि से राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा चलाए गए क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना

6. निधि के प्रकार और परिचालन

i) राज्य पदनामित एजेन्सी अधिनियम की धारा 15 के खंड (डी) में विनिर्दिष्ट के अनुसार राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति के मार्गदर्षन के अधीन निधि का परिचालन करेगी।

ii) राज्य पदनामित एजेन्सी, राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों के वास्ते वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पहले वार्षिक बजट को तैयार करेगी और इसे राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा।

iii) राज्य पदनामित एजेन्सी द्वारा राज्य पदनामित एजेन्सी के लिए लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रिया तथा षक्तियों का प्रत्यायोजन का पालन करते हुए राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण फंड में उपलब्ध निधि का उपयोग करेगी।

iv) राज्य पदनामित एजेन्सी अलग से फंड के लिए लेखा का रख–रखाव करेगी तथा राज्य स्तरीय विषय संचालन समिति को नियमित आधार पर छः महीने का आय और व्यय का विवरण भेजेगी।

7. निधि पर लागू शर्तें:

i) राज्य पदनामित एजेन्सी अधिषेष निधि को राष्ट्रीयकृत बैंको/वित्तीय संस्थानों में इस प्रकार निवेष करेगा कि वह अपने निवेष से सर्वोत्तम प्रतिफल अर्जित करे ।

ii) राज्य पदनामित एजेन्सी अपने वाषिर्क आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए निधि के निवेष से अर्जित ब्याज आय का उपयोग कर सकता है ।

8. खातों की लेखा परीक्षा :

राज्य पदनामित एजेंसी, ऐसे अंतराल पर जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है, हर साल चार्टड एकाउंटेट या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या दोनों द्वारा, जैसा भी मामला हो, निधि खातों के विवरण का लेखा परीक्षा करवाएगा।

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM

9. **खाते का रखरखाव:**

राज्य पदनामित एजेंसी परिषिष्ट में दिए गए फार्म–1 में " अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि" के तहत एक अलग खाते का रख–रखाव करेगी ।

10. वार्षिक वित्तीय अनुमान:

राज्य पदनामित अभिकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन हेतु परिषिष्ट में दिये गए प्रपत्र–2 में बजट तैयार करेगा ।

11. खातों का वार्षिक विवरण:

परिषिष्ट में दिए गए फार्म–3 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर फंड के खातों का वार्षिक विवरण बनाए रखा जाएगा और सभी संबंधितों को प्रस्तुत किया जाएगा।

12. वार्षिक रिपोर्ट:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य पदनामित एजेंसी, (प्रति वर्ष) अगले वित्तीय वर्ष में राज्य पदनामित एजेंसी द्वारा की जाने वाली किसी भी नई गतिविधियों के संकेत के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर सभी संबंधितों को वित्तीय वर्ष के संचालन की एक वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य नामित एजेंसी के संचालन की वार्षिक रिपोर्ट सभी संबंधितों को प्रस्तुत करें।

13. निधि बंद करना:

i) यह निधियाँ तब तक क्रियाषील रहेंगी जब तक कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान लागू रहते हैं या भारत सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन , अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा योजना वापस नहीं ले ली जाती है।

ii) निधि के बंद होने के समय, जब निधि की आवष्यकता नहीं रह जाती , इसके तहत सभी अव्ययित षेष को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

14. नियमों में संषोधन:

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2022 को राज्य स्तरीय संचालन समिति की सिफारष पर कार्यात्मक और वस्तुनिष्ठ आवष्यकता के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन द्वारा संषोधित किया जा सकता है ।

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM

15. परिषिष्ट (लेखा प्रपत्र):

फार्म 1
(नियम 9 देखें)

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राषि का रिकार्ड

क्रम. सं.	रसीद सं. /चालान सं	विवरण	राषि (रू.)	संदर्भ सहित रसीद का स्त्रोत/ आदेष सं.	लेखा शीर्ष/उप –लेखा षीर्ष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

फार्म 2
(नियम 10 देखें)

वर्ष..................के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष/ उप–षीर्ष/स्कीम	परिव्यय/पिछले वर्ष का व्यय		अनुमानित व्यय/वर्ष.....के लिए प्रस्ताव (रू.). .....
		परिव्यय (रू.)	वास्तविक व्यय (रू.)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**

फार्म 3
(नियम 11 देखें)

प्रत्येक समापन वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों का वाषिर्क विवरण..............

क्रम. सं.	प्रारंभिक बैलेंस और समापन वर्ष की रसीदें				भुगतान/प्रेषण/समापन बैलेंस			
	तिथि	लेखा शीर्ष	विवरण/बजट शीर्ष	राषि (रू.)	तिथि	लेखा शीर्ष	विवरण/बजट शीर्ष	राषि (रू.)

Generated from eOffice by Harvinder Kaur, DM(HK)BEE-NRSE, DRAUGHTSMAN GR- II(ELECTRICITY), ELE_AN on 05/06/2023 11:39 AM